दिनांक– 20.11.2026

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर

प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम–2027

स.क्र.	परीक्षा का नाम	परीक्षा आयोजन तिथि	रिमार्क / विभाग
1	राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा–2027	24.01.2027	म.प्र. शासन के विभिन्न विभाग
2	राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा–2027	14.02.2027	म.प्र. शासन के विभिन्न विभाग
3	राज्य पात्रता (सेट) परीक्षा–2027	07.03.2027	उच्च शिक्षा विभाग से विषयवार स्वीकृति प्राप्त होने पर
4	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ परीक्षा परीक्षा–2027	18.04.2027	पशु चिकित्सा विभाग
5	सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा–2027		गृह विभाग
6	उप संचालक, प्राचार्य–वर्ग–2 सहायक संचालक (तकनीकी) परीक्षा–2027		तकनीकी शिक्षा विभाग
7	राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा–2027	25.04.2027	वन विभाग
8	राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा–2027 (विशेष)	02.05.2027	म.प्र. शासन के विभिन्न विभाग
9	सहायक कुल सचिव परीक्षा–2027	30.05.2027	उच्च शिक्षा विभाग
10	राज्य सेवा मुख्य परीक्षा–2027	10.05.2027 से 15.05.2027	
11	आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी परीक्षा–2027	27.06.2027	आयुष विभाग
12	यूनानी चिकित्सा अधिकारी परीक्षा–2027		
13	होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी परीक्षा–2027		
14	सहायक प्राध्यापक परीक्षा–2027 (विभिन्न विषय)	04.07.2027	उच्च शिक्षा विभाग (जिन विषयों के मांग पत्र विभाग द्वारा प्राप्त होंगे उनके विज्ञापन विषयवार पृथक–पृथक जारी होंगे)
15	क्रीड़ा अधिकारी परीक्षा–2027		
16	ग्रंथपाल परीक्षा–2027		
17	सहायक प्रबंधक परीक्षा–2027	25.07.2027	लोक स्वास्थ्य एव चिकित्सा शिक्षा विभाग
18	खनि निरीक्षक परीक्षा–2027		खनिज साधन विभाग
19	खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा– 2027	01.08.2027	लोक स्वास्थ्य एव चिकित्सा शिक्षा विभाग
20	राज्य सेवा मुख्य परीक्षा–2027 (विशेष)	09.08.2027 से 14.08.2027	
21	वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिकी) परीक्षा–2027	26.09.2027	गृह विभाग
22	वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन) परीक्षा–2027		
23	वैज्ञानिक अधिकारी (जीव विज्ञान) परीक्षा–2027		
24	कराधान सहायक परीक्षा–2027		वाणिज्यिक कर विभाग
25	व्याख्याता (पॉलिटेक्निक महाविद्यालय)	17.10.2027	तकनीकी शिक्षा विभाग

टीप :
01. उपर्युक्त परीक्षा कार्यक्रम पूर्णतः संभावित है। विभागों से मांगपत्र प्राप्त होने पर ही विज्ञापन जारी कर चयन प्रक्रिया की जा सकेगी।
02. न्यायालयीन प्रकरणों में मान. न्यायालय के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में कार्यक्रम परिवर्तनीय रहेगा।
03. विभागों से प्राप्त मांगपत्रों के आधार पर नए विज्ञापन भी जारी करते हुए परीक्षा तिथि पृथक से प्रकाशित की जाएगी।
04. परीक्षा सम्पन्न होने के उपरांत साक्षात्कार की तिथियाँ पृथक से घोषित की जाएंगी।
05. अभ्यर्थी भलीभांति तय कर लें कि वे संबंधित विषय की अनिवार्य अर्हता धारित करते हैं, तभी आवेदन करें। आयोग द्वारा परीक्षा के किसी भी चरण में उनके अभिलेख मंगाए जा सकते हैं। किसी भी प्रकार की गलत जानकारी देने पर परीक्षार्थी को विवर्जित (डिबार) किया जा सकेगा।

परीक्षा नियंत्रक